


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) वाणिज्य/इतिहास वेतन श्रृंखला (6500-10500) के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-1(2) एफ.डी/नियम/2006 दिनांक: 13.03.06 एवं एफ 12 (6) एफ.डी/नियम/06 दिनांक: 13.03.06 के प्राधानान्तर्गत 02 वर्ष के परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्राधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800 एवं ग्रेड पे 4800/-रु) एवं देय नियमानुसार अन्य मत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है:-

क्रस	मेरिट नम्बर	वर्ग	नाम अन्वर्थी एवं पिता का नाम	जन्म तिथि	विषय	कार्यग्रहण की तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि	वर्तमान पदस्थापन (प्राध्यापक-वाणिज्य इतिहास) (राजमाषि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40	BC	GAYOOR AHMED S/o MOHD RAMZAN	20.07.1981	वाणिज्य	20.07.2015 मध्याह्न पश्चात	21.07.2017	जावला-नागौर
2	73	SC,WE	HEMA KUMARI VERMA D/o CHHAJU RAM VERMA	10.01.1989	वाणिज्य	20.07.2015	20.07.2017	गुलपाडा-मरतपुर
3	88	GE	MANISH KUMAR SHARMA S/o BANWARI LAL SHARMA	03.12.1983	वाणिज्य	14.01.2016	14.01.2018	रिड-नागौर
4	141	GE,WE	SARITA JAIN D/o BABU LAL JAIN	07.06.1980	वाणिज्य	21.07.2015	21.07.2017	बा0 पुर-भीलवाडा
5	456	ST	HEMRAJ MEENA S/o LATTU RAM MEENA	16.02.1980	वाणिज्य	12.01.2016	12.01.2018	गोठडा-बूंदी
6	488	SC	NARESH KUMAR VERMA S/o GYARASI LAL VERMA	31.01.1989	वाणिज्य	11.01.2016	11.01.2018	दत्तोब-टीक
7	531	TSP-ST	THAWAR CHAND MEENA S/o LAXMAN JI MEENA	15.06.1983	वाणिज्य	21.12.2015 मध्याह्न पश्चात	22.12.2017	झाडोल-उदयपुर
8	557	ST,WE	REKHA MEENA D/o SHIV LAL MEENA	04.07.1988	वाणिज्य	22.07.2015	22.07.2017	गंगधर-झालावाड
9	560	ST	SUNIL KUMAR MEENA S/o BANWARI LAL MEENA	10.05.1981	वाणिज्य	20.01.2016	20.01.2018	ऊपनी-बीकानेर



(नथमल डिलेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक: शिदिसा/मा/संस्था/सी-2/प्रोटे/वाणिज्य-इतिहास/नियमितकरण-स्थाईकरण/2017
दिनांक:

दिनांक : 09.02.2018

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, प्रथम, शिक्षा(युप-2)विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II)
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग, कार्यालय हाजा
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को नेट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याता के उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1	श्रीमती वन्दना सिंह, व्या० इतिहास, राबाउमावि वाटिका—जयपुर	07.10.2015 से 10.10.2015 09.12.2015 से 19.12.2015 18.01.2016 से 30.01.2016 02.02.2016 से 16.02.2016 01.03.2016 से 14.03.2016 16.03.2016 से 21.03.2016 29.03.2016 से 06.04.2016 11.04.2016 से 12.04.2016 20.04.2016 से 23.04.2016 21.06.2016 से 27.06.2016 01.08.2016 से 05.08.2016	90 दिन

कार्मिक के 90 दिवस से अधिक के अवैतनिक अवकाश राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।


(नथमल डिलेल)
आई.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा / माध्य / संस्था / सी 2 / आरपीएससी—इतिहास—वाणिज्य / स्थायीकरण / अवकाश / 17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :-

दिनांक:- 09.02.18

1. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित शाला / संस्था प्रधान / संबंधित कार्मिक
5. रक्षित प्रत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)